भूमि सुधार उप समाहर्त्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या– 04/2020–21

केस का प्रकार :– नामान्तरण अपील

मंजीत कौर, पति स्व0 अवतार सिंह एवं 01 अन्य ....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

अब्दुल करीम, पिता स्व0 अब्दुल रहमान एवं 02 अन्य.......................विपक्षी

क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की कार्र
27.01.23	यह नामान्तरण अपीलवाद अपीलकर्त्ता मंजीत कौर, पति स्व0 अवतार सिंह एवं 02. रंजीत सिंह, पिता अवतार सिंह, ग्राम दाहीगोड़ा, नालापार थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा 01. अब्दुल करीम, पिता स्व0 अब्दुल रहमान, पता A-19/B-A Block, मउभण्डार, थाना घाटशिला, 02. अजीत सिंह पिता स्व0 महेन्द्र सिंह, एवं 03. निर्मला कौर, पति स्व0 परमजीत सिंह पता मउभण्डार, मउभण्डार मस्जिद के सामने, थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को पक्षकर बनाते हुए अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा नामान्तरण मुकदमा 463/2017–18 में दिनांक 15.09.2017 को एवं नामान्तरण मुकदमा सं0 160/R27 /2018–19 में दिनांक 04.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन के साथ अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा उक्त नामान्तरण मुकदमा में निर्गत नामान्तरण शुद्धि पत्र की छाया प्रति संलगन किया गया है। उपरोक्त के आलोक में उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करते हुए अंचल अधिकारी, घाटशिला से नामान्तरण मुकदमा 463/2017–18 एवं नामान्तरण मुकदमा सं0 160/2018–19 का निम्न न्यायलय अभिलेख की मांग की गयी । जिसके आलोक में अंचल अधिकारी, घाटशिला के पत्रांक 700 दिनांक 28.09.2020 के माध्यम से उक्त दोनों नामान्तरण मुकदमा का निम्न न्यायालय अभिलेख प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। नामान्तरण मुकदमा सं0 463/2017–18 में मौजा गोपालपुर, थाना न0 113, खाता न0 31, प्लॉट न0 496 रकवा 6.19 डी0 केता अब्दुल करीम, पिता स्व0 अब्दुल रहमान, A Block मउभण्डार, घाटशिला के पक्ष में तथा नामान्तरण मुकदमा सं0 160/2018–19 में मौजा गोपालपुर थाना न0 113, खाता न0 31, प्लॉट न0 496 रकवा 2.92 डी0 भूमि अब्दुल करीम, पिता स्व0 अब्दुल रहमान, A-19/B-A Block, मउभण्डार, थाना घाटशिला के पक्ष में नामान्तरण किया गया है। द्वितीय पक्ष की ओर से दिनांक 23.08.2022 को Written notes दाखिल की गयी जो अभिलेखबद्ध है। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूना तथा अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया । उभय पक्ष को सूनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता की ओर से अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा दो नामान्तरण क्रमशः 01. नामान्तरण मुकदमा 463/2017–18 में दिनांक 15.09.2017 को पारित आदेश एवं 02. नामान्तरण मुकदमा सं0 160/2018–19 में दिनांक 04.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध	

Continue
27.01.23

एक ही अपीलवाद दायर किया गया है। जो नामान्तरण नियमावली के अनुकूल नहीं है।

निष्कर्ष :– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सूनने, अभिलेखबद्ध कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अंचल अधिकारी, घाटशिला द्वारा दो नामान्तरण मुकदमा क्रमशः 01. नामान्तरण मुकदमा 463 / 2017–18 में 15.09.2017 को एवं 02. नामान्तरण मुकदमा सं0 160 / 2018–19 में दिनांक 04.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध एक ही अपीलवाद दायर किया गया है, जो नामान्तरण नियमावली के अनुकूल नहीं है।

अतः इस नामान्तरण अपीलवाद को प्रविष्टि स्तर पर खारिज (Reject) किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय अभिलेख अंचल अधिकारी, घाटशिला को लौटा दें।

विधि –व्यवस्था कार्य में व्यस्त रहने के कारण आदेश समय पर पारित नहीं किया जा सका।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
घाटशिला।

c.c of last order is issued vide no - 44/23 dt 13/04/23 13/4/23

Digitally signed by NEET NIKHIL SURIN
Date: 2025.03.20 14:05:03 +05:30
Location: 192.168.1.33